न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS

प्रकरण संख्या :-

1. रामौतार
2. रामकिशन
3. काना पुत्रान कालू

समस्त जाति गुर्जर निवासी चेचीका नांगल तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज.

अपीलान्ट

बनाम

1. जसवन्त पुत्र श्रीराम
2. मनोज पुत्र श्रीराम
3. पूरण पुत्र श्रीराम
4. सीताराम पुत्र श्रीराम
5. राजू पुत्र कैलाश
6. विक्रम पुत्र महावीर
7. मनकोरी बेवा महावीर

समस्त जाति गुर्जर निवासी चेचीका नांगल तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज.

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।
9. सब रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोटपूतली

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 265 ग्राम चेचीका नांगल तहसील कोटपूतली तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर(राज0)

तारीख फैसला दिनांक 02.03.2001

निर्णय

दिनांक 16.10.19

नामान्तरण संख्या 265 ग्राम चेचीका नांगल तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 02.03.2001 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरण के विरूद्ध अपील पेश की है जो निम्मन भांति पेश है।

संक्षिप्त तथ्य यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 368/809 रकबा 0.33 368/0.28 वाके ग्राम नांगल चेचीका तहसील कोटपूतली को अपीलान्टगण ने दिनांक 07.07.1989 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 7 से खरीद किया था तथा उक्त खरीदशुदा भूमि के बाद से अपीलान्टगण काबिज है तथा काश्त कर रहे है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का ने अपीलान्टगण के ह कमे नामान्तरण खोल दिया तथा राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट का नाम दर्ज कर दिया। उसके उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 7 ने अपीलान्ट की भूमि को हडप करने की नियत से गलत तथ्य अंकित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को मुगालता देते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहां 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र विना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से नामान्तरण संख्या 265 वाकेग्राम चेचीका नांगल मे अपीलान्ट की खातेदारी को समाप्त करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट का नाम हटवाकर अपीलान्टस की खातेदारी समाप्त करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज करवा दिया जिसकी जानकारी

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट को हुई। जिस पर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर दिनांक 28.09.2012 को नामान्तरण संख्या 265 व अन्य दस्तावेजात की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जिसके बिन्दुवार तथ्य निम्न भांति पेश है।

1. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध व न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सूचित किये बिना अपीलान्टगण की जानकारी के तथा बिना अपीलान्ट को नोटिस दिये उक्त नामान्तरण खोलने की भारी भूल की है।
3. यह है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 368/809 रकबा 0.33 368/0.28 वाकेग्राम नांगल चेचीका तहसील कोटपूतली को अपीलान्टस ने दिनांक 07.07.1989 को जरिये विक्रय पत्र से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 7 से खरीद किया था। खरीद करने के बाद से अपीलान्टस काबिज काश्त है विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का ने अपीलान्टगण के हक मे नामान्तरण खोल दिया तथा राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट का नाम दर्ज कर दिया इसके बाद रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 7 ने अपीलान्ट की भूमि को हडप करने की नियत से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को मुगालता देते हुए गलत तथ्य अंकित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहां 136 एल आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये प्रस्तुत किया तथा अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये तथा नोटिस दिये बिना तथा बिना सुनवाई का मौका दिये उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से जरिये नामान्तरण संख्या 265 वाकेग्राम चेचीका नांगल मे अपीलान्ट की खातेदारी समाप्त करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट का नाम हटवाकर अपीलान्ट की खातेदारी समाप्त करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज करवा दिया। अतः नामान्तरण संख्या 265 निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके की जांच किये तथा रेस्पोडेंटस द्वारा 136 एल.आर. एक्ट के प्रार्थना पत्र मे बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये, बिना अपीलान्ट को सुने महज रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 02.03.2001 को नामान्तरण खोल दिया। अतः नामान्तरण संख्या 265 खारिज किये जाने योग्य है।
5. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 368/809 रकबा 0.33 368/0.28 वाकेग्राम मौजा नांगल चेचीका को जरिये विक्रय पत्र से अपीलान्टगण ने रेस्पोडेंट संख्या 1 लगा. 7 से खरीद कर अपीलान्ट काबिज काश्तकार है इसप्रकार मौके पर अपीलान्ट का कब्जा था लेकिन मौके कब्जा की बिना जांच किये उक्त नामान्तरण संख्या 265 खोल दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।
6. यह है कि उपरोक्त नामान्तरण संख्या 265 के विरूद्ध अन्य खातेदारों ने भी माननीय न्यायालय मे अपील पेश की थी जो स्वीकार होकर पुनः खातेदार घोषित हो चुके है। अतः नामान्तरण संख्या 265 खारिज होने योग्य है।
7. यह है कि उपरोक्त नामान्तरण संख्या 265 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 28.09.2012 को हुई। जिसपर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से कानूनी जानकारी लेकर दिनांक 28.09.2012 को नामान्तरण संख्या 265 व अन्य दस्तावेजात की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये मय दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के सलग्न कर श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जिसे अन्दर मियाद लिया जाना कानूनन एवं न्याय सगत है।
8. यह है कि अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने एवं निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 265 ग्राम चेचीका नांगल तहसील कोटपूतली तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक

जिला कलक्टर
जिला (जयपुर)

Scanned by CamScanner

02.03.2001 को निरस्त फरमाया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 368 / 809 रकबा 0.33, 368 / 0.28 वाके मौजा नांगल चेचीका तहसील कोटपूतली के राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्टस का नाम दर्ज किया जाकर अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करे।

9. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता कराई गई, रिपोर्ट समाप्त पाई जाने पर नियमानुसार रेस्पोडेंटस की तलवी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील रजिस्टर्ड डाक से होने के उपरान्त भी रेस्पोडेंट संख्या 1 तथा 2 लगा. 7 उपस्थित नही आये इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

10. बहस सुनी गई, वकील अपीलान्ट ने अपील मिमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 368 / 809 रकबा 0.33, 368 / 0.28 वाके मौजा नांगल चेचीका अपीलान्टस ने रेस्पोडेंट संख्या 1 लगा. 7 से दिनांक 07.07.89 को जरिये विक्रय पत्र से खरीद की गई थी इसके बाद से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है खरीदशुदा भूमि का पटवारी हल्का ने नामान्तरण भी खोल दिया था। उक्त भूमि को हड़प करने की नियत से माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां 136 एल.आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट द्वारा अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये पेश किया। रेस्पोडेंट ने वास्तविक तथ्य छुपाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से खातेदारी समाप्त कराकर राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम जरिये नामान्तरण संख्या 265 के द्वारा दर्ज करा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना नोटिस जारी किये तथा बिना मौके की जांच किये निर्णय पारित कर उक्त नामान्तरण संख्या 265 स्वीकार किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत है। उपरोक्त नामान्तरण के विरूद्ध अन्य खातेदारो ने भी मान्य न्यायालय मे अपील पेश की थी जो स्वीकार होकर पुनः खातेदार हो चुके है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 265 ग्राम चेचीका नांगल तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 02.03.2001 को निरस्त फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 368 / 809 रकबा 0.33 है. खसरा नम्बर 368 / 0.28 वाकेग्राम चेचीका नांगल तहसील कोटपूतली के राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जावे।

11. रेस्पोडेंट संख्या 8 के द्वारा अपनी बहस मे कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के आदेश कमांक /कोर्ट / 2001 / 45 दिनांक 23.02.2001 की पालना मे उक्त नामान्तरण संख्या 265 ग्राम चेचीका नांगल तहसील कोटपूतली का दिनांक 02.03.2001 को स्वीकार हुआ है।

12. उभयपक्षो की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्यों एवं सबूतो का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो पाया कि नामान्तरण संख्या 265 वाकेग्राम चेचीका नांगल बाबत खसरा नम्बर 368 / 809 रकबा 0.33, 368 / 0.28 खाता संख्या 123 मे जसवन्त वगै. के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त नामान्तरण संख्या 265 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 02.03.2001 को स्वीकार किया जाना पाया गया। उक्त नामान्तरण को वकील अपीलान्ट ने अपनी बह समे खारिज करने हेतु निवेदन कर अपनी बहस मे कथन किया है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 368 / 809 रकबा 0.33, 368 / 0.28 वाकेग्राम चेचीका नांगल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेंट 1 लगा. 7 से दिनांक 07.07.1989 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद किया था तथा उक्त भूमि को खरीद करने के बाद से अपीलान्ट का मौके पर कब्जा काश्त है। उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के हक मे पटवारी हल्का ने नामान्तरण खोलकर अपीलान्ट का नाम दर्ज कर दिया था। उसके उपरान्त रेस्पोडेंट द्वारा गलत तथ्य अंकित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner

सूचनता मे रखकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहां प्रकरण 136 एल. आर.एक्ट के तहत अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से रेस्पोडेंट ने अपीलान्ट की खातेदारी समाप्त कराकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने के आदेश करा लिये जबकि अपीलान्ट को 136 एल.आर. एक्ट प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने, बिना मौका देखे तथा बिना नोटिस जारी किये उक्त नामान्तरण संख्या 265 दिनांक 02.03.2001 स्वीकार कर दिया दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है चूंकि नामान्तरण संख्या 265 बाबत खसरा नम्बर 368/809 रकबा 0.33, 368/0.28 वाकेग्राम नांगल चेचीका अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 02.03.2001 को स्वीकार किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरण बिना मौके की जांच किये तस्दीक किया है। वकील अपीलान्ट ने भी अपनी बहस मे जाहिर किया है कि अपीलान्ट का उक्त खरीदशुदा भूमि पर आज भी मौके पर कब्जा काश्त है। अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये, बिना मौके की जांच किये तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त नामान्तरण संख्या 265 वाकेग्राम नांगल चेचीका स्वीकार किया है। इसके अलावा यह भी जाहिर किया है कि अन्य खातेदारो ने भी उक्त नामान्तरण बाबत अपील पेश की थी जो स्वीकार होकर पुनः खातेदार घोषित हो चुके है। तहसीलदार कोटपूतली को उक्त नामान्तरण संख्या 265 वाके ग्राम चेचीका नांगल को स्वीकार करते समय मौके की कब्जे काश्त की जांच पड़ताल कर उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त नामान्तरण को तस्दीक करना चाहिए था इसलिए उक्त नामान्तरण संख्या 265 बाबत खसरा नम्बर 368/809 रकबा 0.39, 368/0.28 वाकेग्राम चेचीका नांगल तहसील कोटपूतली को अपास्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप नामान्तरण संख्या 265 बाबत खसरा नम्बर 368/809 रकबा 0.33, 368/0.28 वाकेग्राम चेचीका नांगल तहसील कोटपूतली स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उभयपक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

14. यह निर्णय आज दिनांक 16-10-19........को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner